न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोक

(श्री कैलाश चन्द गुर्जर आर.ए. एस. उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र संख्या – 67 / 2014
निर्णय दिनांक– 27.04.2018

उनवान

1. सकीना पुत्री ईदया उर्फ ईद मोहम्मद पत्नी इब्राहीम जाति मुसलमान तेली निवासी शोप हाल देवली रोड टोक
2. 2.जेतुन पुत्री ईदया उर्फ ईद मोहम्मद पत्नी इस्माईल जाति मुसलमान तेली निवासी शोप हाल इन्द्रगढ स्टेशन जिला बून्दी राज0

–प्रार्थीगण

बनाम

1. गुलशेर पुत्र फकीरा जाति मुसलमान तेली निवासी शोप तहसील उनियारा जिला टोंक
2. नसरूद्दीन पुत्र फकीरा जाति मुसलमान तेली निवासी शोप तहसील उनियारा जिला टोंक
3. रहीमन उर्फ दल्ली पत्नी फकीरा जाति मुसलमान तेली निवासी शोप तहसील उनियारा जिला टोंक
4. नूरबानों पुत्री फकीरा जाति मुसलमान तेली निवासी शोप तहसील उनियारा जिला टोंक
5. नसीबन पुत्री फकीरा जाति मुसलमान तेली निवासी शोप तहसील उनियारा जिला टोंक
6. सितारा पुत्री फकीरा जाति मुसलमान तेली निवासी शोप तहसील उनियारा जिला टोंक
7. नूरजहां पुत्री फकीरा जाति मुसलमान तेली निवासी शोप तहसील उनियारा जिला टोंक
8. छोटी पुत्री ईदया उर्फ ईद मोहम्मद पत्नी जुम्मा जाति मुसलमान तेली निवासी शोप हाल पीपल्दा तहसील बोली (सवाईमाधोपुर)
9. एमना पुत्री ईदया उर्फ ईद मोहम्मद पत्नी अब्दुल रहीम जाति मुसलमान तेली निवासी शोप हाल काली पलटन, टोंक
10. इब्राहीम पुत्र खाजू खां जाति मुसलमान निवासी जरखोदा तहसील नैनवा जिला बून्दी राज0
11. तहसीलदार तहसील उनियारा जिला टोंक

–प्रतिपक्षीगण

दावा बाबत घोषणा, दु0 इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा
प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा
उपस्थितः– श्री इकबाल अहमद वकील प्रार्थीगण
श्री बी0यू0 खान वकील प्रतिपक्षीगण

Scanned by CamScanner

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार है:-

यह कि प्रार्थीगण के पिता ईदया उर्फ ईद मोहम्मद पुत्र नेहनू जाति मुसलमान निवासी शोप के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी साबिका ख0न0 875 रकबा 13 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम शोप तहसील उनियारा मे स्थित है, जिसके हाल ख0न0 1022 रकबा 3. 60 है0 बनाये गये है। ईदया उर्फ ईद मोहम्मद के फकीरा पुत्र, सुबराती, छोटी, ऐमना, सकीना व जेतुन 5 पुत्रियां हैं। सुबराती की मृत्यु हो चुकी है, जिसका वारिस प्रतिपक्षी न0 10 है। फकीरा की भी मृत्यु हो चुकी हैवारीसान प्रतिपक्षी न0 1 ता 7 है। वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थीगण व प्रतिपक्षीगण की पुश्तैनी है। जिस प्रार्थीगण व प्रतिपक्षी न0 8 ता 10 तथा प्रतिपक्षी न0 1 ता 7 का बराबर बराबर हिस्सा है तथा उसी अनुसार वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त है। परन्तु प्रतिपक्षी न0 1 ता 7 के पिता/ पति फकीरा ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर विधि विरूद्व तरीके से वादग्रस्त आराजी अपने अकेले के नाम दर्ज करवा ली। जबकि वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण एवं प्रतिपक्षी न0 8 ता 10 व 1 ता 7 के बराबर बराबर हिस्से की भूमि है। इसी अनुरूप कब्जा काश्त है। प्रार्थीगण अपने हिस्से की भूमि को आधोली पर अथवा ठेके पर काश्त करवाती आ रही है। प्रार्थीगण के भाई फकीरा की मृत्यु हो जाने से प्रतिपक्षीगण 1 ता 7 के दिल मे बेईमानी आ गई है। राजस्व रेकार्ड मे मात्र फकीरा का नाम दर्ज हो जाने से वे प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि को चेलेन्ज करने लगे है व प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि को रहन बैचान करने व प्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमादा है। प्रतिपक्षीगण 1 ता 7 प्रार्थीगण के हिस्से मे मजाहमत व मदाखलत करने , प्रार्थीगण को बेदखल करने तथा उनका हिस्सा रहन बैचान करने की धमकी दिये जाने से उक्त वाद मय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिपक्षीगण 1 ता 7 को ता फैसला वाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वह वादग्रस्त आराजी ख0न0 1022 रकबा 3.60 है0 वाके ग्राम शोप तहसील उनियारा मे किसी प्रकार से मजाहमत व मदाखलत नही करे, ना काश्त मे बाधा डाले और ना ही भूमि रहन बैचान करे। प्रतिपक्षी न0 11 रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

उक्त प्रार्थना पत्र पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ते ली जाकर प्रा0पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रतिपक्षीगण 8 ता 10 ने इकबाली जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

प्रतिपक्षी 1 ता 7 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि उक्त आराजी ईदया की बनाई आराजीयात थी तथा ईदया की मृत्यु के बाद उक्त आराजीयात का नामान्तरकरण संख्या 22 दिनांक 16.5.89 को राजस्व केम्प शोप मे मजमे आम मे तस्दीक किया गया था। प्रार्थीगण व प्रतिपक्षी न0 8 ता 10 ने कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की, क्योंकि उन्हे उनके हिस्से की राशि प्रतिपक्षीगण 1 ता 7 के पिता ने नगद अदा कर दी थी, इस कारण ही प्रार्थीगण ने 29 वर्ष पुराने नामान्तरकरण की आज तक कोई अपील पेश नही की है। प्रार्थीगण तथा प्रतिपक्षी न0 8 ता 10 ग्राम शोप मे नही रहते, बल्कि वह अपने ससुराल बाहर ही निवास करते चले आ रहे

Scanned by CamScanner

है। जमीनों की कीमते बढ जाने के कारण प्रार्थीगण व प्रतिपक्षीगण 8 ता 10 की नियत मे बेईमानी आ गई है, इस कारण दूरभि संधि पूर्वक उक्त वाद प्रस्तुत किया है। उक्त आराजीयात पर प्रार्थीगण का कब्जा दायरी दावे के दिन या उससे पूर्व न होने से वाद व प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।अतः प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र मय हर्जे व खर्चे के खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्षों के वकील की बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी सम्वत 2025 से 2028 वाके ग्राम शोप मे साबिक आराजी ख0न0 875 रकबा 13 बीघा 15 बिस्वा ईदिया पुत्र नेहनू कोम तेली सा देह की खातेदारी की भूमि है। नकल मिलान क्षैत्रफल ग्राम सोप के अनुसार साबिक आराजी ख0न0 875 रकबा 13 बीघा 15 बिस्वा के नये नम्बर 1022 रकबा 3.60 है0 बने है। इस प्रकार यह तो सिद्व है कि उक्त आराजीयात ईदया की थी। नकल जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 वाके ग्राम सोप मे हाल आराजी ख0न0 1022 रकबा 3.60 व 2113/3411 रकबा 0.15 है0 फकीरा पुत्र ईद मोहम्मद कोम मुसलमान सा0 देह की खातेदारी मे दर्ज है। नामान्तरकरण संख्या 31 ग्राम सोप केम्प दिनांक 16.5.89 मे मजमे आम तहसीलदार उनियारा के द्वारा तस्दीक किया गया है। जिसके अनुसार ईद मोहम्मद पुत्र नेहनू फकीर के फोत हो जाने के बाद उत्त्राधिकारी फकीरा पुत्र व बेवा जुम्मी के नाम स्वीकार किया गया है। प्रार्थीगण के द्वारा उक्त नामान्तरकरण को सक्षम न्यायालय मे चेलेन्ज नही किया है। प्रार्थीगण के द्वारा उनके भाई फकीरा तथा मां की मौजूदगी मे भी वाद पत्र प्रस्तुत नही किया है। प्रार्थीगण का उक्त वाद मे कब्जा है या नही इस तथ्य का विवेचन मूल वाद मे साक्ष्य प्रस्तुत होने पर ही हो सकेगा। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण तथा सुविधा का संतुलन का संतुलन प्रार्थीगण की अपेक्षा प्रतिपक्षीगण 1 ता 7 के पक्ष मे है। यदि प्रतिपक्षीगण को ताफैसला वाद पाबन्द कर दिया गया तो उन्हे अपूर्णीय क्षति होगी।

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित नही समझता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 27.04.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

कैलाश चन्द गुर्जर
(आर.ए. एस.)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा

Scanned by CamScanner